Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शम्भुलाल बनाम **रूपसिंह वगैराह**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना पत्र** नं0 **002** सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.2022	पत्रावली पेश हुई। पूर्व में दिनांक 12.01.2022 अधिवक्ता छोगालाल जाट ने प्रार्थी की और से अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी हाजिर। पूर्व में दिनांक 12.01.2022 अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 4 तक की और से अधिवक्ता खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर। पूर्व में दिनांक 12.01.2022 को अधिवक्ता प्रार्थी छोगालाल जाट ने प्रार्थी की और प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं रिकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि न्यायालय में प्रार्थी की और से निगरानी प्रस्तुत की गई उक्त निगरानी से प्रार्थी निगराकार का कोई संबंध सरोकार नहीं है न ही प्रार्थी/निगराकार उक्त निगरानी में आगे कोई कार्यवाही चाहता है। अतः निगरानी निगराकार नहीं चलाना चाहने से निरस्त फरमाई जावें। प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल वकील अप्रार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है। हमने पत्रावली आद्यौपांत का अवलोकन किया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन-मनन किया। हस्तगत प्रकरण वर्तमान में प्राथमिक स्थिति पर ही लम्बित है एवं प्रार्थी निगराकार स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -SD- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 05.04.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official